न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, अम्बेडकरनगर
एस0टी0नं0–129 / 2021 कं0नं0–404 / 2021
सी0एन0आर0नं0–यूपीएएन01002114–2021
सरकार–बनाम–उमानाथ गिरि उर्फ ओम गिरि आदि
मु0अ0सं0:–38 / 2021
धाराः–307 भा0दं0सं0
थानाः–जैतपुर
जिला–अम्बेडकरनगर

14.10.2021

आदेश

पुकार करायी गयी। अभियुक्त **उमानाथ गिरि उर्फ ओम गिरि**, जेल से उपस्थित है। आरोप रचना के सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय (फौजदारी) द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का विवरण दिया, जिनके आधार पर उसे आरोपों को साबित करना है।

अभियुक्त की तरफ से कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में उसे रंजिशन गलत तरीके से व परेशान करने की गरज से झूंठा फंसाया गया है, और वह निर्दोष है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त **उमानाथ गिरि उर्फ ओम गिरि** के विरूद्ध धाराः–307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप रचना हेतु प्रथम दृष्टया प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत आरोप रचना की जाय।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

दिनांक–14.10.2021

अभियुक्त **उमानाथ गिरि उर्फ ओम गिरि**, के विरूद्ध धारा–307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप रचना की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–25.10.2021 को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

दिनांक–14.10.2021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, अम्बेडकरनगर
एस0टी0नं0–129 / 2021 कं0नं0–404 / 2021
सी0एन0आर0नं0–यूपीएएन01002114–2021
सरकार–बनाम–उमानाथ गिरि उर्फ ओम गिरि आदि

मु0अ0सं0:–38 / 2021
धाराः–307 भा0दं0सं0
थानाः–जैतपुर
जिला–अम्बेडकरनगर

आरोप

मैं नेहा आनन्द, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बेडकरनगर आप अभियुक्त **उमानाथ गिरि उर्फ ओम गिरि**, पर निम्न आरोप लगाती हूँ–

1– यह कि दिनांक–27.02.2021 को समय लगभग 23.20 बजे स्थान सरैया मोड़ बहद ग्राम–सरैया थाना–जैतपुर जिला– अम्बेडकरनगर में आपने अपने अन्य साथी के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता एवं अन्य हमराही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचा 315 बोर से फायर किया गया जिससे वह लोग बाल–बाल बच गये। इस प्रकार ने आप ने भा0दं0सं0 की धारा–307 के तहत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोप के तहत आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

दिनांक–14.10.2021

अतएवं आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त अपराध के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

दिनांक–14.10.2021